न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—88/2025

प्रार्थीः—

धनराज सुथार उर्फ धनाराम जपुत्र पुनमाराम उम्र 62 वर्ष जाति सुथार निवासी रानीदेशीपुरा, तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री हीराचन्द सुथार अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.08.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 893/49, 167 व 24 रकबा क्रमशः 3.1242, 5.7951 व 4.8643 हैक्टेयर भूमि ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी आदि में उसका वास्तविक नाम "धनराज सुथार पुत्र पुनमाराम" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "धनाराम पुत्र पुनमाराम" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2078 दिनांक 26.08.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, जनआधार कार्ड [illegible] की प्रति पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र [illegible]नाराम व किशनलाल पुत्र कानाराम के बयान कलमबद्ध करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "धनराज पुत्र पुनमाराम" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 893/49, 167 व 24 रकबा क्रमशः 3.1242, 5.7951 व 4.8643 हैक्टेयर भूमि ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

समदडी में प्रार्थी का नाम ''धनाराम पुत्र पुनमाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, जनआधार कार्ड, बैक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''धनराज सुथार पुत्र पुनमाराम'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''धनाराम पुत्र पुनमाराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी के खसरा संख्या 893/49, 167 व 24 रकबा क्रमशः 3.1242, 5.7951 व 4.8643 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''धनाराम पुत्र पुनमाराम '' के स्थान पर ''धनराज सुथार उर्फ धनाराम पुत्र पुनमाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested